POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 05.06.2026

थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-126/2020 धारा-147/148/149/452/323/325/504/506/436 भा0द0सं0 से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त 1. अब्दुल वाहिद पुत्र महबूब 2. मो0 सेबू उर्फ मो0 वाजिद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासीगण ग्राम भनेवरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-05.06.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत रामगढ कोठारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा वादी के छप्पर जलाते हुए गाली-गलौज कर मार-पीट की गयी थी, जिसमें मुकदमा वादी के भतीजे को गम्भीर चोटें आयी थी जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-126/2020 उपरोक्त पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अब्दुल वाहिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम भनेवरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 49 वर्ष।
2. मो0 सेबू उर्फ मो0 वाजिद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम भनेवरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-126/2020 धारा-147/148/149/452/323/325/504/506/436 भा0द0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष मानवेन्द्र कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. व0उ0नि0 अमित कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 चन्दन यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. हे0का0 रामचन्द्र वर्मा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. रि0का0 रईश अहमद, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. रि0का0 शिवम दुबे, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, अपहृता बरामद

दिनांक 04.06.2026 को थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 87/137(2)/351(2)/352/64 bns व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को थाना क्षेत्र नैनी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत विपक्षी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा पूछने पर विपक्षी द्वारा गाली गलौज देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 267/2026 धारा 87/137(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया । जिसमें दिनांक 02.06.2026 को अपहृता को बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 04.06.2026 को थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 267/2026 धारा 87/137(2)/351(2)/352/64 bns व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना नैनी प्रयागराज।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
2. उ0नि0 अमरेन्द्र सिंह, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
3. हे0का0 सतपाल बिन्द, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-04.06.2026 को थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अमन यादव उर्फ अमनदीप पुत्र अलख निरंजन यादव नि0 बांदा रोड कर्वी थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को धनुहां पार्किंग के पास थाना नैनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2026 को वादिनी मुकदमा के तहरीरी सूचना बावत विपक्षी अमन यादव द्वारा प्रार्थिनी की पुत्री को अपने साथ बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 199/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अमन यादव उर्फ अमनदीप उपरोक्त को थाना नैनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमन यादव उर्फ अमनदीप पुत्र अलख निरंजन यादव नि0 बांदा रोड कर्वी थाना कर्वी जनपद चित्रकूट, उम्र करीब 24 वर्ष।

संबंधित अभियोग/आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 199/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
2. उ0नि0 कुलदीप उपाध्याय, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
3. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या का नामजद 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 हथौड़ा (घन) बरामद

थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/ 352/ 351(3)/61(2) बीएनएस के नामजद वांछित अभियुक्त विशाल कुमार भारतीया पुत्र गंगा प्रसाद निवासी ग्राम चकिया डेरा करमा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को ग्राम सारंगापुर थाना क्षेत्र घूरपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 बड़ा हथौड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-01.06.2026 को वादी राहुल कुमार भारतीया पुत्र स्व0 तिलकधारी भारतीया नि0 ग्राम चकिया डेरा करमा थाना घूरपुर प्रयागराज द्वारा प्रार्थना पत्र बावत् पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण श्यामबाबू भारतीया आदि द्वारा वादी के पिता तिलकधारी भारतीया, उम्र करीब 52 वर्ष को एक राय होकर योजना के तहत धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या कर देने के संबंध में मु0अ0सं0 205/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(3)/ 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा दिनांक-04.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त के नामजद वांछित अभियुक्त विशाल कुमार भारतीया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 हथौड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त विशाल कुमार भारतीया उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी बहन के साथ तिलकधारी के भतीजे शिवम ने प्रेम विवाह कर लिया था । तिलकधारी आये दिन मुझे बुजदिल एवं नामर्द कहते हुए ताना मारता था मै चुपचाप सहता था। परन्तु घटना के पूर्व शाम को मै शौच के लिए उनके घर के रास्ते खेत में गया था वहाँ से वापस आते वक्त तिलकधारी ने फिर से ताना मारा। रोज -रोज के तानो से मै बहुत परेशान हो गया था तथा मेरे परिवार वाले भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जिसके कारण उसी रात दिनांक 01.06.2026 को जब तिलकधारी अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर सो रहा था। तब मै मौका पाकर मंदिर के पीछे से जल रहे बल्ब को बुझाते हुए सो रहे तिलकधारी के सिर के पीछे पहुँच कर बिना कुछ देखे, ले जाये गये हथौड़े से दो वार कर उसकी हत्या कर दिया। मौके पर सो रहे तिलकधारी की पत्नी एवं लड़कियों के जागने व चिल्लाने पर मै खेत के रास्ते कच्चा रास्ता पकड़कर भगा था। भागते समय रास्ते में पड़े तालाब में मैने हत्या में प्रयुक्त हथौडे को तालाब के बाहर से फेंक कर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

विशाल कुमार भारतीया पुत्र गंगा प्रसाद निवासी ग्राम चकिया डेरा करमा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 205/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(3)/61(2) बीएनएस थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण -

घटना में प्रयुक्त 01 हथौड़ा (घन)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 भइयाराम विश्वकर्मा, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे0का0 अखिलेश मिश्रा, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 अबरार अहमद, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।